रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 1974/पौष 11, 1895

No. 3] **NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 1974/PAUSA 11, 1895**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Petroleum aur Rasayan Mantralaya)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January 1974

G.S.R. 5(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970, namely:—

1. (1) This Order may be called the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Amendment Order, 1974.

(2) It shall come into force on the 1st day of January, 1974.

2. In the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970, after clause 8, the following clause shall be inserted, namely:—

"9. *Saving*—Nothing contained in this Order shall apply to the sale at airfields of Aviation Turbine Fuel to the International airlines including Air India."

[No. F. IS-28014/4/73-PPD]

A. P. VERMA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1974

अधिसूचना

सा० का० नि० 5(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्यों का नियतन) आदेश, 1970 का और संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:–

(1) (i) यह आदेश मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्यों का नियतन) संशोधन आदेश, 1974 कहा जा सकेगा।

(ii) यह जनवरी, 1974 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा।

(2) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्यों का नियतन) आदेश, 1970 में धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जायेगी। अर्थात् :—

"9 बचत—एयर इण्डिया सहित इन्टरनेशनल एयर लाइन्स को हवाई अड्डों पर होने वाले एविियेशन टरबाइन फ्यूएल (विमानन टरबाइन ईंधन) के विक्रय पर इस आदेश की कोई बात लागू नहीं होगी।"

(फाइल संख्या—आई०एस०-280/4/73-बीपीडी)

ए० पी० वर्मा,

संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974